

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 02/2024

प्रार्थी

विजयकुमार पुत्र श्री जीवाराम, जाति-कलबी, निवासी- डोडुआ, तह. व जिला- सिरौही
बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, डोडुआ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, डोडुआ, तहसील व जिला सिरौही
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, डोडुआ, तहसील व जिला सिरौही
3. मुलाराम पुत्र नवाजी, जाति- घांची, निवासी- डोडुआ, तहसील व जिला सिरौही

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

- (1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
- (2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 30 अप्रैल, 2025

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, डोडुआ द्वारा अप्रार्थी मूलाराम पुत्र नवाजी घांची, निवासी- डोडुआ के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1920 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 28-11-2019 को गिरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।
- (2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, डोडुआ से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गईं। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस को तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये।
- (3) प्रकरण में दिनांक 25-4-2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेडतिया ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि ग्राम डोडुआ, तहसील सिरौही में प्रार्थी के पिता श्री जीवाराम पुत्र दौलाजी कलबी का आवासीय मकान बरा स्टण्ड के पारा आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपने पिता के साथ मय परिवार निवास करता है। प्रार्थी के उक्त आवासीय मकान के उत्तर दिशा में ग्राम पंचायत की खाली पडत भूमि व रास्ता स्थित है तथा उससे आगे उत्तर दिशा की तरफ प्रार्थी के आवासीय मकान से 62 फीट भूमि को छोड़कर मुलाराम, आगाराम व बाबुलाल पुत्रगण नवाजी घांची के आवासीय मकान आए हुए हैं, मुलाराम पुत्र नवारामजी घांची के आवासीय मकान में मुलाराम घांची अपने परिवार के साथ निवास करता है। मुलाराम घांची के पिता नवा पुत्र भूताजी घांची का मकान गांव की मुख्य आबादी में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) तथा भेराराम पुत्र वीराजी घांची आपस में रिश्तेदार एवं एक ही जाति के हैं। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) तथा भेराराम घांची ने आपरा में ग्राम पंचायत डोडुआ के पदाधिकारियों से षडयंत्र कर प्रार्थी के आवासीय मकान के उत्तर दिशा की तरफ स्थित रास्ते की भूमि व ग्राम पंचायत की पडत भूमि के दो पट्टे क्रमशः पट्टा संख्या 33 दिनांक 28.11.2019 भेराराम पुत्र वीराजी घांची के नाम से तथा पट्टा संख्या 32 दिनांक 28.11.2019 अप्रार्थी मुलाराम
.....पंज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)



घांची के नाम से नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी करवाए, जबकि उक्त स्थान पर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का व भेराराम घांची का कभी भी कोई आवासीय मकान बना हुआ नहीं था। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की पडत भूमि थी, जिससे कानूनन अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के हक में उक्त पट्टा जारी नहीं हो सकता था। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के हक में ग्राम पंचायत, डोडुआ के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने नियमों को ताक में रखकर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के साथ मेल मिलाप कर उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के करीब 15 दिवस पूर्व अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) द्वारा मौके पर पडत भूमि पर आकर निर्माण कार्य करवाए जाने हेतु निर्माण सामग्री डाले जाने पर प्रार्थी द्वारा एतराज किया गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के हक में ग्राम पंचायत द्वारा गलत व विधि विरुद्ध तरीके से पट्टा जारी करने की जानकारी हुई है। यह कि वादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य या कब्जा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का नहीं रहा है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की पडत भूमि थी, जिसमें से कुछ भाग पिछे की तरफ मौजूद कृषि भूमि में आने जाने हेतु उपयोग में आती रही है। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का उक्त पट्टा की भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है तथा न ही उसका कोई आवासीय मकान बना हुआ है, फिर भी अप्रार्थीगण ने आपसी मिलावट कर खाली भूमि का पट्टा नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, डोडुआ के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के हक में खाली भूखण्ड का पट्टा जारी कर राज्य सरकार को लाखों रूपयों की आर्थिक क्षति पहुँचाई है, जबकि ग्राम पंचायत को यह भलीभंति जानकारी है कि उक्त भूमि पर कोई आवासीय मकान बना हुआ नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का रहवासी मकान ग्राम डोडुआ की पुरानी आबादी में मौजूद है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को अनुचित फायदा पहुँचाने के आशय से उक्त पट्टा गुपचुप तरीके से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की पडत भूमि का अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) अपने हक में पट्टा जारी करवाने का कोई हक नहीं रखता था, फिर भी अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को अनुचित फायदा पहुँचाने के आशय से कुल 1920 वर्गफीट का उक्त पट्टा गुपचुप तरीके से जारी किया गया है। आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया, न ही आपत्ति नोटिस किसी भी प्रकार के जारी किए गए हैं, अन्य किसी भी आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है व न ही प्रार्थी को कोई सूचना या नोटिस जारी किया गया है। केवल मात्र पंचायत कार्यालय में ही खाना पुर्ती की गई है, प्रिन्टेड प्रफार्मा में समस्त कार्यवाही की गई है, जिससे पट्टा विधि अनुसार जारी नहीं किए जाने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, डोडुआ द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 28-11-2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के आवासीय मकान के उत्तर दिशा में ग्राम पंचायत की खाली भूमि नहीं है तथा उसके आस पास अन्य लोगों के मकानात बने हुए हैं। यह सही है कि अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) व भेराराम पुत्र वीराजी, जाति-घांची एक ही जाति के हैं, लेकिन आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है। प्रार्थी के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का पुराना कच्चा केलुपोश मकान बना हुआ था जिसका पट्टा जारी किया हुआ नहीं था तथा उक्त मकान जर्जर होने से नये निर्माण कार्य के लिए निर्माण स्वीकृति व बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए पट्टे की आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत, डोडुआ में

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत, डोडुआ द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पुराने गृह को विनियमित कर पट्टा जारी किया है तथा जिस समय अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया था तत्समय उस स्थान पर कच्चा केलुपोश मकान बना हुआ था परन्तु वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) द्वारा उस मकान को गिराकर नये मकान का काम शुरू करवाये जाने पर प्रार्थी ने गलत तथ्य के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को जिस भूमि का पट्टा जारी किया है उस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का पुराना मकान बना हुआ था तथा उस मकान पर पुराना विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) व उसका परिवार ग्राम डोडुआ का मूल निवासी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पास इस मकान के अलावा अन्य मकान भी नहीं है, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्रों से भी हो रही है तथा यदि ग्राम पंचायत द्वारा खाली भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को जारी किया होता तो पट्टा जारी करने से पूर्व बाद में प्रार्थी अवश्य ही ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करता, परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) द्वारा नया मकान बनाने के लिए जब पुराने मकान को गिराया गया तो इस बात का फायदा उठाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। पूर्व में प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य कर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के हक हिस्से में आने पर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) ने 5 वर्ष पूर्व प्रार्थी के निर्माण कार्य को रूकवा दिया था जो वर्तमान में भी मौके पर यथास्थिति में मौजूद है, इसलिए प्रार्थी ने इस परिस्थिति का फायदा उठाकर गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 3 का पुराना मकान जर्जर हो जाने से अप्रार्थी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत से नियमानुसार पुराने गृह के विनियमन का पट्टा जारी करवाकर नये मकान का निर्माण कार्य शुरू करवाया तथा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण विहित प्रक्रिया का पालन किया गया। अन्यथा भी नियम 157 के तहत पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 145 से 156 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। इस बाबत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.04.2017 को अधिसूचना भी जारी की हुई है एवं नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने के लिए केवल जिस भूमि का पट्टा जारी किया जा रहा है उस पर पट्टा धारक का कब्जा होना ही एक मात्र शर्त है। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) द्वारा उक्त भूखण्ड पर नवरात्रि में निर्माण कार्य शुरू करवाया था जिसमें सबसे पहले पुराने मकान को हटाया गया उसके बाद नीव खुदाई कर नये निर्माण कार्य को शुरू करवाया गया तथा नया निर्माण कार्य जमीन से 6-7 फुट ऊपर आने के बाद प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के जवाब में अंकित विशेष कथनों की ओर आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को जारी पट्टे की अलग-अलग शिकायत किये जाने पर इस पट्टे के संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही द्वारा दो अलग-अलग दिनांको पर अलग-अलग जांच करवाई गई, उन सभी जाँचों में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को जारी पट्टे को विधिपूर्ण माना है, इसलिए प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय से किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को जिस भूखण्ड का पट्टा दिया है उस पर अप्रार्थी संख्या 3 का पुराना आवासीय मकान बना होने के कारण नियम 157 के अन्तर्गत केवल पुराने गृह का विनियमितीकरण कर पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है एवं इस भूखण्ड पर स्वामित्व व हक अधिकार इस पट्टे को जारी किये जाने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को प्राप्त हो चुके थे। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पट्टे शुदा भूखण्ड के पास में

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)



प्रार्थी का मकान होने के कारण प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के भूखण्ड को हडप करने की बदनियति रखता है इसलिए अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जब नये मकान का निर्माण करने के लिए पुराने मकान को गिराकर उस पर लगभग 3-4 फुट नीवं व दिवार का निर्माण किया गया तब गलत व मगढन्त तथ्यो के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के कथनों के जवाब में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि उक्त प्रश्नगत पट्टे की विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा पुनः जांच करवाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत, डोडुआ द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पक्ष में जारी पट्टे को नियम विरुद्ध व खुले पडत भूमि का जारी होना माना है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, डोडुआ द्वारा अप्रार्थी मुलाराम पुत्र नवाजी घांची, निवासी- डोडुआ के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1920 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 32 दिनांक 28-11-2019 को जारी किया गया है। "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्याधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान" प्रतिस्थापित की है।"

इस संबंध में प्रार्थी की ओर से निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि "प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड के मौके पर आवासीय गृह/मकान निर्मित नहीं होकर भूखण्ड मौके पर खाली (open Land) पडा हुआ है, जहां पर निर्माण सामग्री ईंट, पत्थर, रेत आदि पडे हुये हैं और भूखण्ड के कुछ भाग में टीनशेड से ढका हुआ दिखाई दे रहा है।" जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स (जो स्थगन प्रार्थना पत्र की पत्रावली में संलग्न हैं) के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड के मौके पर नीवं लेवल व नीवं लेवल से कुछ उपर तक दीवार का निर्माण किया हुआ है और भूखण्ड मौके पर खुला दिखाई दे रहा है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से प्रस्तुत विद्युत

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



बिल की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अप्रार्थी भेराराम पुत्र वीराजी घांची, निवासी- डोडुआ के नाम से विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है, जिसमें विद्युत बिल जारी करने की तिथि 05-4-2021 अंकित है। इस प्रकार, दोनों पक्षों के फोटोग्राफ्स के अवलोकन से प्रकरण में इस तथ्य की पुष्टि की जाना उचित व आवश्यक प्रतीत होता है कि वस्तुतः ग्राम पंचायत, डोडुआ द्वारा अप्रार्थी मुलाराम पुत्र नवाजी घांची, निवासी- डोडुआ के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि पर दिनांक 31-12-2016 से पूर्व में मौके पर मकान बना हुआ था या नहीं। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, डोडुआ को प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच कर पुनः विधि अनुरूप कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, डोडुआ द्वारा अप्रार्थी मुलाराम पुत्र नवाजी घांची, निवासी- डोडुआ के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 1920 वर्गफीट भूखण्ड का जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 28-11-2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, डोडुआ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही